

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारा)।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

झारखण्ड राज्य सरकार

बनाम

दिश पत्रक ता0- 10/01/25 से

तक

राजु चौधरी एवं

जिला- बोकारो

केश सं0-51/2024-25

अन्य

केश का प्रकार- झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण।

आदेश क्रम संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गयी कार्रवाई
के बारे में टिप्पणी तारीख
सहित

10/01/2025

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक अंचल कार्यालय, गोमिया के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा- गोमिया, थाना सं0-110, खाता सं0-272, प्लॉट सं0-2290, रकबा-17 डी0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है, जिसमें राजु चौधरी, पिता- स्व0 बुद्धदेव चौधरी एवं पुलकी देवी, पति- सुगन गोप ग्राम- चौधरी टोला गोमिया, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो के द्वारा अनाधिकृत रूप से चाहरदिवारी निर्माण कर दिया गया है, जो झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(1)(e) के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि है।

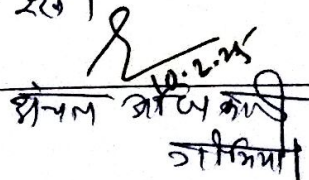
अतः झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा-3 के तहत उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक- 10/01/25 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
गोमिया

10/01/2025

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी के मोरिम तालिम किया गया। उनके द्वारा अर्जित की गयी है। विपक्षी के द्वारा लिखित जवाब दाखिल करि हेतु समय की मांग की गयी है, जिसे स्वीकृत किया जाता है। अभिलेख दिनांक - 03/03/2025 को देल।


100
10/01/25 Notice

03/03/2015

विपक्षी श्रे - ① एवं ② की ओर से
लिखित जवाब कागज किया जाता है जिसमें
पक्ष के युक्त सत्य है। इनके साथ प्रमाण
पत्रों के संबंधित कुछ सत्य कागज संलग्न
किया जाता है जो प्रमाण प्रमाण संदेहान्त
प्रतीत होता है। सत्य ही पर अंतर्गत जवाबों
का मागला लगाता है। ऐसी स्थिति में आ
वाद में कार्यकर्ता के सत्य की जागी है।

पर अंतर्गत जवाबों के मागला प्रतीत
होने के कारण 1312 अंत - 1950 की अध्या-
4(H) की तहत कार्यवाही प्रारम्भ होने के संबंधित
सत्य इस निरीक्षण एवं अंतर्गत निरीक्षण के
प्रतिवेदन की जागी है।

अंतर्गत
अंतर्गत अंतर्गत
अंतर्गत